फर्द अहकाम

भीमसिंह बनाम भैरू सिंह वगै0

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 28/2024

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.10.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 एवं 5 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। अतः अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 एवं 5 का जवाब बंद किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों का दौहरान करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखने हेतु पाबंद फरमाया जाने का निवेदन किया। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्य स्वीकार है एवं प्रार्थी–वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 762 रकबा 0.4426 हे0, खसरा नं0 762/914 रकबा 0.0253 हे0 वाके ग्राम बबेरवालों की ढाणी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	